3.9.24.

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुल प्रकरण में तनकिमात कायम की जा कर वादी की जिरह के स्तर पर लम्बित है। प्रार्थना-पत्र को दर्ज हुए लम्बा समय बितने के उपरान्त भी वादी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदिनांक तक निवेदन नहीं किया है न ही अप्रार्थीगण द्वारा इसका कोई विरोध किया गया है। लिहाजा प्रार्थना-पत्र नम्बर पर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं। लिहाजा दोनो पक्षो को बहस का अवसर समाप्त किया जा कर कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप की जा कर पत्रावली प्रकरण खुर्द कर मुलवाद के संलग्न की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:29:39 IST
Reason: SelfAttested